

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 154 / 12

संस्थापन दिनांक-14 / 06 / 2012

अलहमदी बेबा नसीर मोहम्मद मुसलमान,
निवासी गोरिबन होटला मौ थाना मौ,
परगना गौहद जिला भिण्ड

-----पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका / निगरानीकर्ता

वि रु द्ध

- 1- अमर सिंह पुत्र भूरे सिंह यादव,
निवासी लौहारपुरा कस्बा मौ परगना गौहद
- 2- गुडडीबाई पत्नी राजकुमार सिंह यादव,
निवासी लौहारपुरा परगना गौहद जिला भिण्ड

-----प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदक / प्रत्यर्थीगण

न्यायालय-अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, गौहद जिला-भिण्ड के प्रकरण
क्रमांक-154 / 12 धारा-145 जा.फौ. में पारित आदेश दिनांक
26 / 4 / 2012 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

निगरानीकर्ता द्वारा श्री एस0एस0 श्रीवास्तव अधिवक्ता ।

प्रत्यर्थी क्रमांक-1 एक पक्षीय ।

प्रत्यर्थी क्रमांक-2 द्वारा श्री आर0सी0 यादव अधिवक्ता ।

—::— आ दे श —::—

(आज दिनांक 24, जनवरी 2015 को पारित किया गया)

1. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा उक्त दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा-399 द.प्र.सं. के तहत न्यायालय एस.डी.एम. गौहद द्वारा प्रकरण क्रमांक-07 / 2009 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक-26 / 04 / 2012 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता का आवेदनपत्र धारा-145 द.प्र.सं. आवेदनपत्र को निरस्त किया गया ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रकरण के विवादित भूमि की फसल वर्ष 2011-12 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुर्क किया गया था और 01 क्विंटल 90 किलो गेहूँ और 02 क्विंटल भूसा उभयपक्ष की संपत्ति से सुरेश सिंह कुशवाह पुत्र रामभरोसे उम्र 25 साल निवासी ग्राम मौ को सुपुर्दगी पर दिनांक-28 / 4 / 2011 को दी गयी ।

3. पुनरीक्षणकर्ता की याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26/4/2012 अवैधानिक होकर रिकॉर्ड के विपरीत है, इसलिये निरस्त किया जाना न्याय संगत है। दिनांक-13/8/2010 के आदेश के अनुसार वर्ष 2011 व 2012 की फसल, गेहूँ मय भूसा के निगरानीकर्ता को दी जाना चाहिये थी, जो नहीं दी जाकर कार्यवाही निरस्त करने में भूल की है।
4. दीवानी प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा का कोई प्रभाव 13/8/10 के आदेश के मुकाबले प्रभाव नहीं रखता है तथा उक्त आदेश के विरुद्ध अपील संचालित है, इसलिये प्रति निगरानीकर्ता को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान न देकर सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का गलत निर्देश दिया है। प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही 13/8/2010 को ही समाप्त होकर प्रकरण समाप्त कर दिया गया, केवल फसल के संबंध में स्पष्ट आदेश देना था, जो नहीं दिया गया और प्रकरण की कार्यवाही समाप्त करने में भूल की है, जबकि निगरानीकर्ता को फसल व भूसा देने का आदेश देना चाहिये था। उक्त तथ्यों पर बिना ध्यान दिये तथ्यों व साक्ष्य को अनदेखा कर सरमाइनर के आधार पर आदेश पारित करने में भारी भूल की है एवं आदेश पारित कर आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।
5. प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की ओर से उक्त आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं किया गया है।
6. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किए हैं।
7. विचारणीय यह है कि—“क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 26/04/2012 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है?”

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों पर मनन किया गया।
9. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि के संबंध में प्रारंभिक आदेश किया जाकर फसल कुर्क की गयी थी और प्रत्यर्थीगण के जमानत मुचलके लेने का आदेश किया गया था, जो थाना मौ द्वारा लिये गये थे, जिसमें अग्रिम कार्यवाही की जानी चाहिये थी, किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल वाद विचाराधीन हो जाने के आधार पर धारा-145 द0प्र0स0 की कार्यवाही को समाप्त कर दिया, जो विधि विरुद्ध है, क्योंकि सिविल वाद पेश हो जाने के बावजूद धारा-145 द0प्र0स0 की

कार्यवाही संचालित रखी जा सकती है, क्योंकि उसमें विवाद उत्पन्न होने के पूर्ववर्ती 60 दिवस में कब्जे की स्थिति को देखा जाता है और जो फसल कुर्क की गयी, वह पुनरीक्षणकर्ता की स्वामित्व और आधिपत्य की थी तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय को कुर्क की गयी फसल के संबंध में आदेश करना था, ऐसा न कर गंभीर विधिक त्रुटि की गयी है, इसलिये पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जावे और कुर्कशुदा गेहूँ और भूसा पुनरीक्षणकर्ता को दिलाई जावे, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक-2 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पुनरीक्षणकर्ता विवादित भूमि की स्वामी ही नहीं है और उसे उसपर किसी भी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है, न ही उसका कोई कब्जा था, न उसकी फसल थी, इसलिये वह भूसा और गेहूँ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है तथा सिविल वाद में भी प्रथम दृष्टया स्वामित्व, आधिपत्य पुनरीक्षणकर्ता का नहीं माना गया है, स्वत्व का निर्धारण करने का अधिकार एस0डी0एम0 को नहीं है और सिविल न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणकर्ता का दावा निरस्त किया जा चुका है इसलिये पुनरीक्षण याचिका कोई बल नहीं रखती है, इसलिये सव्यय निरस्त किया जावे ।

10. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के अवलोकन करने पर यह विदित है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय एस0डी0एम0 गोहद के द्वारा पुनरीक्षणकर्ता की ओर से दिनांक-14/7/2009 को पेश किए गये धारा-145 द0प्र0सं0 के आवेदनपत्र पर से कार्यवाही संचालित की गयी थी और दिनांक-20/10/2009 को धारा-145 (ए) द0प्र0सं0 के तहत प्रारंभिक आदेश पारित करने हुए थाना प्रभारी मौ को प्रश्नगत भूमि सर्वे क्रमांक-1196 रकवा 376 में से करवा 0.188 पश्चिमी दिशा की भूमि के कब्जे के संबंध में विवाद होकर शांति भंग होने की संभावना के मध्य-नजर प्रत्यर्थी अमर सिंह को दिनांक-30/10/2009 तक जवाब व प्रमाण पेश करने का निर्देश देते हुए धारा-146 द0प्र0सं0 के तहत भूमि मय फसल के कुर्की किए जाने के संबंध में आदेश किया गया था, तब तक यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया गया था और पुलिस मौ से रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिसपर से थाना प्रभारी मौ की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय एस0डी0एम0 गोहद को दिनांक-28/8/2009 को इस आशय का प्रतिवेदन दिया गा था कि उक्त भूमि के संबंध में आवेदिका के द्वारा दो साल पहले भूमि बलवंत कुशवाह निवासी मौ को बंटाई पर दी गयी थी और पुनरीक्षणकर्ता/आवेदिका अलहमदी बेबा नसीर मोहम्मद की पत्नी है, जिसने उक्त भूमि अपने स्वामित्व आधिपत्य की होना बताया है, जबकि अनावेदकगण के द्वारा दिनांक-16/6/2009 को भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरीदना बताया और उसके दस्तावेज दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गये तथा जबाब लिये गये ।

11. उक्त भूमि के संबंध में पक्षकारों के मध्य सिविल वाद क्रमांक-17 ए/2011 संचालित होना और उसमें दिनांक-17/1/2012

को पारित आदेशानुसार दावा निरस्त किया जाना बताया गया है, उसी आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने धारा-145 द0प्र0सं0 के तहत संचालित कार्यवाही समाप्त आलोच्य आदेश मुताबिक की है, जो फसल और भूसा कुर्क किया गया था, उसके बारे में भी ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी कि वह पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका की थी । ऐसे में गेंहू और भूसा के संबंध में पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा की गयी प्रार्थना स्वीकार योग्य नहीं है ।

12. हालांकि यह सही है कि फसल धारा-145 (2) द0प्र0सं0 के अंतर्गत अवश्य आती है, किन्तु जहां सिविल वाद विचाराधीन हो, वहां राजस्व न्यायालय पर सिविल न्यायालय का निष्कर्ष बंधनकारी प्रभाव रखता है और जो सिविल वाद में दिनांक-17/1/2012 का आदेश प्रसारित हुआ है, उसके मुताबिक प्रथम दृष्टया पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका का कब्जा ही नहीं माना गया है, जो दावा दिनांक-12/1/2011 को पेश किया गया है । हालांकि धारा-145 द0प्र0सं0 के तहत जो आवेदनपत्र पेश किया गया था कि दिनांक-13/7/2009 का था, लेकिन उक्त आवेदनपत्र प्रस्तुति के पूर्ववर्ती 60 दिवस में पुनरीक्षणकर्ता / आवेदिका मौके पर काबिज थी, ऐसी भी साक्ष्य नहीं है, जो विक्रयपत्र अनावेदक प्रत्यर्थीगण द्वारा बताया गया, वह दिनांक-16/6/2009 अर्थात् आवेदन प्रस्तुति के पूर्व का है ।

13. ऐसी स्थिति में धारा- 145 द0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही योग्य मामला नहीं रह जाता है और उक्त स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक-26/4/2012 को प्राप्त करने में कोई अवैधानिकता, या अनियमितता होना नहीं पाया जाता है, न ही औचित्यहीन होना पाया जाता है ।

14. ऐसे में विद्वान एस.डी.एम. गोहद का आलोच्य आदेश दिनांक-26/04/2012 विधि सम्मत होकर पुष्टि योग्य होने से आदेश की पुष्टि करते हुए पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

15. आदेश की प्रति एस.डी.एम. गोहद की ओर सूचनार्थ व पालनार्थ भेजी जावे ।

दिनांक 24-01-2015

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड